jktdh; egkfo|ky;] pqokMh] rglhy HkfV;kr] ftyk pEck ¼fg0iz0½ ds ys[kk dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 4@08 ls 3@12½

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु व्यक्तिगत रूचि लेकर अविलम्ब निपटाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

vads{k.k izfrosnu vof/k 13-7-1994 ls 03@02

पैरा—3	अनिर्णीत
पैरा—4	अनिर्णीत
पैरा—6 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा—7 (1 व 2)	अनिर्णीत
पैरा—8	अनिर्णीत
पैरा—11 (क, ख)	अनिर्णीत
पैरा—12 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
पैरा—13 से 18	अनिर्णीत

vads{k.k izfrosnu vof/k 4@2002 ls 03@2008

पैरा—4	अनिर्णीत
पैरा—5	निर्णीत (₹501 की वसूली रसीद संख्या 815870 दिनांक 12.9.12 द्वारा करके महाविद्यालय के खाते में जमा।)
पैरा—6	निर्णीत (निधि प्राप्ति रजिस्टर व रोकड़ वही पर कार्यालय अधीक्षक द्वारा सत्यापित।)
पैरा—7	अनिर्णीत
पैरा—8	निर्णीत (टेलीफोन व पानी के बिलों के लिए मिश्रित निधि से ली गई धन राषि दिनांक 10.12.08 को मिश्रित निधि में वापस जमा)
पैरा—9	अनिर्णीत

पैरा–10 अनिर्णीत

पैरा–11 अनिर्णीत

पैरा–12 अनिर्णीत

पैरा–13 निर्णीत (वास्तविक भुगतान रसीद की जॉच की गई।)

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k%&

राजकीय महाविद्यालय के वर्तमान निधि लेखों अवधि 4/08 से 3/12 तक का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री भुवनीष पुरी, आर्टिकल सहायक, द्वारा दिनांक 30.8.12 से 15.9.12 तक के दौरान महाविद्यालय परिसर में किया गया। आय व व्यय लेखों की विस्तृत जांच हेतु माह का चयन इस प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
आय	06/08	06/09	06/10	06/11
व्यय	02/09	02/10	10/10	02/12

अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध/प्रस्तुत करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा विभाग किसी प्रकार की गलत सूचना/अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

vads{k.k vof/k dk nkSjku egkfo|ky; esa fuEu fooj.kkuqlkj iz/kkukpk;Z us vkgj.k o forj.k vf/kdkfj;ksa dk :i esa dk;Z fd;k

Ø0 l0	iz/kkukpk;Z dk uke	dk;Z dh vof/k
1	श्रीमति ससी सहगल	1.4.08 से 31.8.08
2	डा0 सुभाष गुप्ता	1.9.08 से 19.10.2008
3	श्रीमति ससी गुप्ता	20.10.08 से लगातार

3 vads{k.k 'kqYd%&

महाविद्यालय के निधि लेखों का अंकेक्षण षुल्क विद्यालय की वार्षिक प्राप्तियों के आधार पर ₹28000/–आंका गया, जिसकी गणना से सम्बन्धित विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

foÙkh; o"kZ	dqy vk;	vadsa{k.k 'kqYd ₹ esa
2008–09	489467	7000
2009–10	421579	7000
2010–11	746039	7000
2011–12	822875	7000
	dqy	₹28000

उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण षुल्क ₹28000/–की राषि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45 दिनांक 13.9.12 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण षुल्क की राषि ₹28000/– का बैंक ड्राफ्ट संख्या 242492 दिनांक 14.9.2012 षाखा भारतीय स्टेट बैंक, चुवाड़ी बनाकर निदेषक, स्थानीय लेखा विभाग, षिमला–9 प्रेषित कर दिया गया।

4 foÙkh; fLFkfr%&

महाविद्यालय की अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निधियो ंसे सम्बन्धित वित्तीय स्थिति का विवरण परिषिष्ट "क" के पृष्ठ संख्या 1 से 5 तक दिया गया है।

vk;%&

5 fofHkUu fuf/k;ksa ls lEcfU/kr vk; o 0;; dh ifof"V;ksa ,d gh jksdM+ ogh esa djus ckjs%&

जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न छात्र निधियों के आय व व्यय की प्रविष्टियां अलग–2 रोकड़ वही में न करके मिश्रित निधि एव विषय निधि की रोकड़ वही में किया गया है जिस कारण विभिन्न छात्र/निधियों की सही वित्तीय स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं होती। अतः विभिन्न छात्र निधियों का रख रखाव नियमानुसार वर्गीकृत रोकड़ वही तैयार करके किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि विभिन्न छात्र निधियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति सही रूप में स्वतः स्पष्ट हो सके।

6 ikLiDVl fcØh jftLVj vd{k.k e iLrr u dju ckj&

अंकेक्षण के दौरान प्रोस्पैक्टस की बिक्री से सम्बन्धित रजिस्टर आवष्यक जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इससे सम्बन्धित आय की पूर्ण रूप से जॉच नहीं की जा सकी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आगामी अंकेक्षण पर वांन्छित अभिलेख आवष्यक जॉच हेतु प्रस्ततु किया जाना भी सुनिष्चित करें।

7 ₹2250@& dh jkf'k dEi;Vj iDVhdy 'kYd d :i e olly u dju ckj&

निधि प्राप्ति रजिस्टर की जांच के दौरान पाया कि बी0 कॉम0 तृतीय वर्ष के छात्रों से ₹90/–प्रति विद्यार्थी कम्पयूटर प्रैक्टीकल षुल्क (छः माह हेतु) नीचे दिये विवरणानुसार वसूल नहीं किये गयेः–

Ø0 l0	fnukd	fuf/k ikfIr jftLVj i0 l0	jky u0
1	30.6.2010	14	2912
2	30.06.2010	14	2913
3	01.07.2010	16	2914
4	01.07.2010	16	2915
5	01.07.2010	16	2916
6	12.07.2010	22	2917
7	12.07.2010	22	2919
8	12.07.2010	22	2920
9	12.07.2010	22	2921
10	13.07.2010	24	2922

11	13.07.2010	24	2923
12	13.07.2010	24	2924
13	16.6.2011	82	2907
14	16.6.2011	82	2908
15	16.6.2011	82	2909
16	17.6.2011	84	2913
17	20.6.2011	88	2914
18	20.6.2011	88	2915
19	20.6.2011	88	2916
20	20.6.2011	89	2917
21	20.6.2011	89	2918
22	20.6.2011	89	2919
23	20.6.2011	89	2920
24	29.6.2011	93	2922
25	29.6.2011	93	2923

उपरोक्त 25 विद्यार्थियों से ₹90/–प्रति विद्यार्थी के हिसाब से (छः माह हेतु) कुल राषि ₹2250/– वसूल नहीं किए गये और अंकेक्षण में न ही कोई ऐंसा अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि षुल्क की वसूली कर ली गई है। अतः इसकी वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वसूल न की गई राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

0;;%& ¼fefJr fuf/k½

8 ₹756@&dk vf/kd Hkxrku djus ckjs%&

माह 02/2009 के वाऊचर संख्या 73 की जांच करने पर पाया गया कि मै0 डेल्टा उद्योग, जालन्धर से उनके बिल संख्या 158 दिनांक 15.2.2009 द्वारा न्यूनतम निधियां के आधार पर विभिन्न आकार के 144 मोमेन्टोज ₹19652/–के खरीदे गए। निविदाओं की जांच करने पर पाया कि मै0 डेल्टा

उद्योग जालन्धर ने अपनी दरों के अतिरिक्त उन पर वैट चार्ज करने की कोई षर्त नहीं लगाई थी। अतः उनके द्वारा भरी गई दरों में वैट भी सम्मिलित है लेकिन मै0 डेल्टा उद्योग जालन्धर ने 4% की दर से वैट ₹756/–अलग से बिल में चार्ज किए जिससे ₹756/–का अतिरिक्त राषि का भुगतान मै0 डेल्टा उद्योग जालन्धर को किया गया जो कि नियमानुसार दी गई दरों के आधार पर देय नहीं था। अतः अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस राषि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करना सुनिष्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। बिल की डिटेल इस प्रकार हैः–

बिल संख्या– 158 दिनांक 15.2.09

M/S Delta Industries, Jalandhar

Momentos	Special	10 Nos	@400each	4000
Momentos	XL	6 Nos	@250each	1500
Momentos	Prime	12 Nos	@175each	350
Momentos	L	14 Nos	@150each	2100
Momentos	Supreme	35 Nos	@125each	4375
Momentos	Royal	32 Nos	@100each	3200
Momentos	Meium	45 Nos	@75each	3375
			Total	₹189
			Vat @4%	₹756
			Total	**₹19656**

9 fcuk fufonk,i vkefU=r fd, ₹34857@&dh lkexh Ø; dju ckj‰&

वाऊचर संख्या 73 माह 02/09 की जांच करने पर पाया गया कि मै0 ईग्लिष बुक षॉप, चण्डीगढ़ से उनके बिल संख्या ए196 दिनांक 15.02.2009 द्वारा ईनाम वितरित करने हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तकें ₹34857/–की बिना निविदाएं आमन्त्रित किए खरीद गई जबकि हिमाचल प्रदेष वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अन्तर्गत ₹3000/–से अधिक की खरीद के लिए निविदाऐं आमन्त्रित करना आवष्यक है। यदि उपरोक्त सामग्री निविदाएं आमन्त्रित करके खरीदी गई होती तो खरीद में कुछ राषि की

बचत हो सकती थी। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट करें एवं इसकी सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 ijQkek fcy d vk/kkj ij ₹8440@&dk Ø; ,o ₹1020@&fcØh dj dk vfu;fer Hkxrku%&

वाउचर संख्या 362 माह 02/2012 के भुगतान बिलों की जांच करने पर पाया गया कि PA Audio Mixer AMX-812 की दर ₹8440/–मै0 करतार सिंह एवं ब्रदर्स, जालन्धर के पक्ष में न्यूनतम निविदा के आधार पर अनुमोदित की गई लेकिन मै0 करतार सिंह, जालन्धर ने महाविद्यालय को उपरोक्त सामग्री दिनांक 19.12.2011 को Performa bill के द्वारा ₹8440/–में उपलब्ध करवाई जिसमें ₹1020/–की राषि बतौर बिक्री कर की षामिल थी जो कि नियमानुसार सही नहीं है क्योंकि Performa bill के आधार पर न तो सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकती है और न ही Supplier बिक्री कर ग्राहक से वसूल सकता है। अतः Supplier से वास्तविक बिल प्राप्त करना सुनिष्चित करें व बिक्री कर के अनियमित भुगतान को वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान की वास्तविक भुगतान राषि की रसीद भी अंकेक्षण में जांच के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः वास्तविक भुगतान रसीद प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 VsyhQksu] fctyh o ikuh ds fcyksa ds Hkxrku ckjs%&

अंकेक्षण के दौरान पाया कि समिश्रित निधि से निम्नलिखित राषियों का भुगतान टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों की अदायगी के लिए किए गए जो कि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः निम्न राषियों को उचित स्त्रोतों से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

Ø0l0	fooj.k	fnukad	jkf'k ₹ esa
1	टेलीफोन व पानी बिल	21.12.10	784
2	–यथोपरि–	20.10.11	3959
3	टेलीफोन व बिजली बिल	19.3.11	3542
4	–यथोपरि–	21.4.11	1975

5	टेलीफोन बिल	03.09.11	397
6	–यथोपरि–	21.7.11	794
7	–यथोपरि–	09.09.11	397
8	बिजली बिल	21.09.11	2748
9	–यथोपरि–	22.10.11	2002
10	–यथोपरि–	23.11.2011	2748
11	टेलीफोन, बिजली व पानी बिल	19.12.11	4562
12	बिजली बिल	21.01.11	2748
13	टेलीफोन बिल	21.12.11	397
14	–यथोपरि–	27.01.12	397
15	–यथोपरि–	17.2.12	3988
16	–यथोपरि–	24.3.12	804
17	टेलीफोन, बिजली व पानी बिल	13.3.12	4023
		;kx	₹36265

12 ₹280@&dh olwyh ckjs&

¼i½ चयनित माह 02/2010 के वाऊचर संख्या 156 दिनांक 27.02.2010 की जॉच करने पर पाया गया कि मै0 नगिन चन्द एण्ड सन्ज से बिल संख्या 421 दिनांक 06.11.09 द्वारा पानी की फिटिंग की सामग्री ₹4929/–का भुगतान करके क्रय की जबकि इस बिल में अंकित सामग्री का कुल मूल्य ₹4889/–था। अतः ₹40/–का अधिक भुगतान किया गया। आपत्ति उठाए जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति से रसीद संख्या 815866 दिनांक 04.09.12 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा दिया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई।

¼ii½ माह 09/2010 के वाउचर संख्या 194 दिनांक 28.09.10 एवं माह 10/2010 के वाउचर संख्या 204 दिनांक 09.10.10 की जांच करने पर पाया गया कि डा. संजीव कुमार, सहायक प्राध्यापक एवं डा0 हेत राम, सहायक प्राध्यापक को यात्रा भते दावों का अवधि 28.9.10 से 3.10.10 एवं 10.10.2010 से 16.10.2010 के लिए ₹50/–प्रति सहायक प्राध्यापक अधिक भुगतान किया गाय था। अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

सम्बन्धित सहायक प्राध्यापकों ने रसीद संख्या 815864 एवं 815865 दिनांक 04.09.12 द्वारा ₹100/–सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दिए जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गइ।

¼**iii**½ माह 02/2012 के वाउचर संख्या 366 दिनांक 10.2.2012 की जांच करने पर पाया गया कि मै0 ठाकुर टैन्ट हाऊस, चुवाड़ी को कैष मेमो संख्या षून्य दिनांक 09.02.12 द्वारा सप्लाई सामान हेतु ₹12810/–का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में ₹12670/–देय बनते थे। इस प्रकार ₹140/–का अधिक भुगतान किया गया। अंकेक्षण द्वारा आपति उठाए जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल करके रसीद संख्या 815869 दिनांक 12.9.12 द्वारा निधि खाते में जमा करवा दिये जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

13 ₹6784@&dh fofHkUu jlk;fud inkFkksZ dh Hk.Mkj.k esa de ek=k n'kkZus ckjs&

रसायन षास्त्र लैब के भण्डारण रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न रासायनिक पदार्थों की मात्रा स्टॉक में कम प्रदर्षित की गई है जिस कारण ₹6784/–की महाविद्यालय को हानि हुई। अतः सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाये। कम दर्षाए गए रसायनों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	Name of Chemicals	Stock E/P	Quantity Shown	Actual Quantity	Less Quantity Shown	Value of Chemicals in `
1	Ammonium Chloride	22/14 Vol-I	200gm	2000gm	1800gm	499.28
2	Nitric Acid	P-84 Vol-I	NIL	12600ML	12600ML	1391.24
3	Pol Iodide	P-95 Vol-I	NIL	1000gm	1000gm	1984.00
4	Sodium acetate	P-103 Vol-I	2000gm	2100gm	100gm	28.00
5	Sodium bicarbonate	P-105 Vol-I	200gm	1900gm	1700gm	431.80
6	Sulphuric	P-120	9 Ltr.	11Ltr.	2Ltr.	360.00

	Acid	Vol-I				
7	Benzene (AR)	P-10 Vol-II	2 Ltr.	11 Ltr.	9Ltr.	982.18
8	Diethy lether	P-62 Vol-II	NIL	500 ML	500 ML	193.26
9	Acetal dehyde	P-80 Vol-II	1300ML	3800 ML	2500 Ml.	824.20
10	Fehling Solution (A)	P-25 Vol-II	NIL	300 ML	300 ML	90.00
					Total	**₹6783.96**

14 LVkd dk iR;{k IR;kiu u fd;k tkuk&

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय के कार्यालय में रखे गये स्थायी भण्डारण रजिस्टर में दर्ज स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेष वित नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना से स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब स्टॉक का भौतिक/प्रत्यक्ष सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाना सुनिष्चित किया जाए व की गई कार्यवाही से इस विभाग/कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

15 y?k vkifÙk fooj.kh& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 fu"d"k& लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)सी(15)xi(vii) 119/2003 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i;thd`r 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, चुवाड़ी, तहसील भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें ।

2 प्रधान सचिव (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष षिमला–171002

3 निदेषक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.

4 उप निदेषक, षिक्षा विभाग जिला चम्बा, चम्बा हि0प्र0

5 श्री संदीप कमल, अ0अ0 द्वारा...

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.